राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/14316-31 दिनांक : 28/09/2016

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

विषय : विज्ञापन करार पर आर्टिकल–5 के क्लॉज (f) एवं क्लॉज (ff) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–3 की अनुसूची के आर्टिकल–5 के क्लॉज (f) में किसी भी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए किये गये किसी विज्ञापन या उससे लाभ प्राप्त करने या व्यापार के आशय से कार्यक्रम या इवेन्ट का आयोजन करने संबंधी करार तथा क्लॉज (ff) में किसी इवेन्ट फिल्म को टेलिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या उसका प्रदर्शन करने से संबंधित करार पर स्टाम्प ड्यूटी का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

5. Agreement or memorandum of an agreement—	
(f) if relating to any advertisement made for promotion of any product; or program or event with an intention to make profits or business out of it,-	
(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs"	Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
(ii) in any other case	Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(ff) If relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film,-	
(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;	Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
(ii) in any other case	Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.

उपरोक्त प्रकृति के इकरारनामा का पंजीकरण, पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा–18 के अंतर्गत वैकल्पिक है, किन्तु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी किया जाना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि उपरोक्त प्रावधान की पालना में स्टाम्प ड्यूटी की वसूली नगण्य है। इससे ना केवल स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की अपवंचना हो रही है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभाग को आवंटित आय लक्ष्यों को अर्जित करने के प्रयासों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

निम्नलिखित मामलों व्यक्ति/कम्पनी एवं संस्था के मध्य निष्पादित करार आर्टिकल–5 के क्लॉज (f) एवं (ff) के अधीन स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों के अन्तर्गत आते है :–

1. स्थानीय निकायों यथा नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा होर्डिंग्स लगाने के लिए दी गई अनुमति।

2. दैनिक समाचार पत्रों में किसी उत्पाद के प्रचार के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनी एवं विज्ञापन प्रकाशित करवाने वाली कम्पनी/संस्था/व्यक्ति के मध्य निष्पादित करार/ऐसे विज्ञापन के संबंध में समचार पत्र के कार्यालय द्वारा जारी अनुमति पत्र आदि सभी दस्तावेज।

3. व्यापार मे लाभ कमाने के उद्देश्य से आयोजित कोई कार्यक्रम, प्रदर्शनी आदि के संबंध में निष्पादित कोई भी दस्तावेज।

4. फिल्म को ब्रॉडकास्ट करने, टेलिकास्ट करने के संबंध में निष्पादित कोई दस्तावेज।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अध्याय–3 एवं 4 के अंतर्गत अमुद्रांकित दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करने की शक्तियॉ कलक्टर मुद्रांक को दी गई है। उक्त अधिनियम की धारा–85 के अंतर्गत लोक कार्यालयों में स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजन से निरीक्षण करने, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करके स्वविवेक के आधार पर प्रकरण दर्ज कर स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण करने की शक्तियॉ अध्याय–IV में आपको दी गई है।

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई स्टाम्प ड्यूटी को मय ब्याज एवं शास्ति वसूल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा–56 के तहत आप सक्षम प्राधिकारी है।

राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल–5(f) एवं (ff) में दिनांक 14.07.14 के प्रभाव से उपरोक्त प्रावधान किया गया था। बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि दो वर्ष के समय में भी इस प्रकार के मामलों में आप द्वारा कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये है।

आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की वसूली सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करें:–

1. धारा–85 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और समाचार पत्र के कार्यालयों का निरीक्षण करें।

2. ऐसे दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त करें जिन पर आर्टिकल–5 के क्लॉज (f) एवं (ff) के अधीन स्टाम्प ड्यूटी देय है।

3. दस्तावेजों की प्रतियों के आधार पर अध्याय–IV के प्रावधान के अंतर्गत स्वविवेक के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करें।

4. धारा–56 के अनुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 30.09.16 तक आवश्यक रूप से अवगत करावें।

भवदीय

26-09-2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in